

कृषि मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि और सहकारिता विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)												
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	10579.19	1051.28	11630.47	14958.75	605.37	15564.12	17194.59	441.09	17635.68	17051.27	399.40	17450.67
पूँजी	44.27	0.06	44.33	83.25	0.60	83.85	59.41	0.39	59.80	71.60	0.60	72.20
जोड़	10623.46	1051.34	11674.80	15042.00	605.97	15647.97	17254.00	441.48	17695.48	17122.87	400.00	17522.87
3451	5.88	56.96	62.84	8.00	53.83	61.83	9.13	57.79	66.92	10.00	62.09	72.09
2401	219.16	...	219.16	193.00	...	193.00	173.00	...	173.00	135.00	...	135.00
3601	144.25	...	144.25	192.35	...	192.35	192.00	...	192.00	201.50	...	201.50
3602	0.59	...	0.59	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.50	...	0.50
जोड़	364.00	...	364.00	385.45	...	385.45	365.10	...	365.10	337.00	...	337.00
2401	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18.92	...	18.92
3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30.50	...	30.50
3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	49.92	...	49.92
2401	...	...	...	...	...	...	0.11	...	0.11	0.05	...	0.05
2401	7.12	...	7.12	22.85	...	22.85	12.51	...	12.51	17.50	...	17.50
4401	0.26	...	0.26	0.15	...	0.15	0.11	...	0.11	0.50	...	0.50
जोड़	7.38	...	7.38	23.00	...	23.00	12.62	...	12.62	18.00	...	18.00
	371.38	...	371.38	408.45	...	408.45	377.83	...	377.83	404.97	...	404.97
2401	...	1.11	1.11	...	1.04	1.04	...	1.08	1.08	...	1.17	1.17
2401	40.65	...	40.65	19.45	...	19.45	19.80	...	19.80	24.85	...	24.85
3601	0.89	...	0.89	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
3602	...	...	...	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.15	...	0.15

<http://indiabudget.nic.in>

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8. अन्य कार्यक्रम	4401	0.74	...	0.74	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00	
	जोड़	42.28	...	42.28	22.00	...	22.00	20.85	...	20.85	27.00	...	27.00	
	2401	4.49	...	4.49	6.85	...	6.85	9.00	...	9.00	11.00	...	11.00	
	3601	0.28	...	0.28	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...	
	3602	...	...	...	0.15	...	0.15	...	...	...	...	...	...	
	4401	2.83	...	2.83	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00	
जोड़	7.60	...	7.60	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00	18.00	...	18.00		
जोड़-खाद्य और उर्वरक		49.88	...	49.88	34.00	...	34.00	35.85	...	35.85	45.00	...	45.00	
पौध संरक्षण														
9. भारत में पौध संगरोधी सुविधाओं का सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण	2401	12.75	...	12.75	16.95	...	16.95	16.34	...	16.34	21.70	...	21.70	
	3601	...	...	...	0.05	...	0.05	0.04	...	0.04	0.10	...	0.10	
	4401	0.06	...	0.06	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.20	...	3.20	
	जोड़	12.81	...	12.81	20.00	...	20.00	19.38	...	19.38	25.00	...	25.00	
	2401	12.91	...	12.91	14.73	...	14.73	16.65	...	16.65	20.44	...	20.44	
	3601	...	...	...	2.00	...	2.00	0.90	...	0.90	2.00	...	2.00	
10. देश में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण	4401	0.82	...	0.82	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	3.50	...	3.50	
	जोड़	13.73	...	13.73	18.23	...	18.23	19.05	...	19.05	25.94	...	25.94	
	2401	12.36	28.39	40.75	13.50	26.61	40.11	14.38	26.44	40.82	20.00	24.96	44.96	
	जोड़-पौध संरक्षण		38.90	28.39	67.29	51.73	26.61	78.34	52.81	26.44	79.25	70.94	24.96	95.90
	तिलहन का विकास													
	12. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	2401	...	0.72	0.72	...	0.80	0.80	...	1.04	1.04	...	1.07	1.07
13. एकीकृत तिलहन, ऑइलपाम, दाल और मक्का विकास	2401	154.75	...	154.75	150.00	...	150.00	257.75	...	257.75	185.00	...	185.00	
	3601	296.54	...	296.54	322.00	...	322.00	382.50	...	382.50	350.00	...	350.00	
	जोड़	451.29	...	451.29	472.00	...	472.00	640.25	...	640.25	535.00	...	535.00	
	14. अन्य कार्यक्रम	2401	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	12.00	...	12.00
	जोड़-तिलहन का विकास		459.29	0.72	460.01	481.00	0.80	481.80	649.25	1.04	650.29	547.00	1.07	548.07
	वाणिज्यिक फसलें													
15. जूट प्रौद्योगिकी मिशन-लघु मिशन-2	2401	0.16	...	0.16	1.00	...	1.00	0.70	...	0.70	1.00	...	1.00	
	3601	6.12	...	6.12	8.00	...	8.00	4.60	...	4.60	8.00	...	8.00	
	जोड़	6.28	...	6.28	9.00	...	9.00	5.30	...	5.30	9.00	...	9.00	
	16. गहन कपास विकास कार्यक्रम / कपास प्रौद्योगिकी मिशन	2401	5.93	0.83	6.76	3.50	0.91	4.41	3.50	0.82	4.32	4.00	0.89	4.89
	3601	48.19	...	48.19	6.00	...	6.00	15.79	...	15.79	10.45	...	10.45	
	http://indiabudget.nic.in													

मुख्य शीर्ष	जोड़	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
17. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2401	1017.09	...	1017.09	1220.50	...	1220.50	1157.63	...	1157.63	1250.00	...	1250.00
18. जल संभरण विकास परिषद	2401	...	0.26	0.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण	2401	4.59	...	4.59	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	...	...	...
20. वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2401	...	...	...	2.50	...	2.50	...	...	...	0.70	...	0.70
	3601	...	...	...	6.00	...	6.00	...	...	...	0.20	...	0.20
	3602	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	0.10	...	0.10
	जोड़	...	...	...	9.00	...	9.00	...	...	...	1.00	...	1.00
21. अन्य वाणिज्यिक फसलें	2401	...	2.84	2.84	...	2.75	2.75	...	2.80	2.80	...	3.07	3.07
जोड़-वाणिज्यिक फसलें		1082.08	3.93	1086.01	1268.00	3.66	1271.66	1202.22	3.62	1205.84	1274.45	3.96	1278.41
बागवानी और सब्जी फसलें													
22. पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य बागवानी मिशन	2401	325.72	...	325.72	130.00	...	130.00	120.00	...	120.00	180.00	...	180.00
23. नारियल विकास बोर्ड	2401	64.90	...	64.90	71.40	...	71.40	49.89	...	49.89	50.00	...	50.00
24. नारियल बागों का पुनः रोपण और पुनरुज्जीवन के लिए अनुदान	2401	10.00	...	10.00	69.00	...	69.00	29.00	...	29.00	35.00	...	35.00
25. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401	800.00	...	800.00	1061.98	...	1061.98	986.00	...	986.00	1200.00	...	1200.00
26. राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन	2401	480.00	...	480.00	1000.00	...	1000.00	970.00	...	970.00	1130.00	...	1130.00
27. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	2401	143.00	...	143.00	120.00	...	120.00	119.99	...	119.99	142.00	...	142.00
28. अन्य कार्यक्रम	2401	51.58	2.19	53.77	21.00	2.14	23.14	36.00	2.12	38.12	36.00	2.12	38.12
जोड़-बागवानी और सब्जी फसलें		1875.20	2.19	1877.39	2473.38	2.14	2475.52	2310.88	2.12	2313.00	2773.00	2.12	2775.12
विस्तार और प्रशिक्षण													
29. राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता	2401	178.59	...	178.59	223.75	...	223.75	193.75	...	193.75	448.75	...	448.75
	3601	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	3602	...	...	...	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75
	जोड़	178.59	...	178.59	225.00	...	225.00	195.00	...	195.00	450.00	...	450.00
30. कृषि विस्तार के लिए मास मिडिया सहायता	2401	97.08	...	97.08	89.00	...	89.00	204.00	...	204.00	135.00	...	135.00
31. डीओई केन्द्रीय संस्थानों को सहायता देना	2401	14.70	...	14.70	15.76	...	15.76	12.54	...	12.54	15.00	...	15.00
32. अन्य कार्यक्रम	2401	6.70	12.51	19.21	8.50	9.00	17.50	8.50	12.07	20.57	17.50	12.63	30.13
जोड़-विस्तार और प्रशिक्षण		297.07	12.51	309.58	338.26	9.00	347.26	420.04	12.07	432.11	617.50	12.63	630.13
फसल बीमा													
33. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए भारतीय साधारण बीमा कंपनी/एआईसी को भुगतान	2401	1419.00	...	1419.00	950.00	...	950.00	2662.00	...	2662.00	550.00	...	550.00
33.01 प्राप्तिओं को घटाकर	0401	-200.00	...	-200.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	1219.00	...	1219.00	950.00	...	950.00	2662.00	...	2662.00	550.00	...	550.00
34. मौसम आधारित फसल बीमा योजना	2401	120.00	...	120.00	100.00	...	100.00	450.00	...	450.00	450.00	...	450.00
http://indiabudget.nic.in													

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
35. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस)	2401	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	150.00	...	150.00
जोड़-फसल बीमा		1339.00	...	1339.00	1050.00	...	1050.00	3162.00	...	3162.00	1150.00	...	1150.00
कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी													
36. कृषि गणना	2401	0.89	...	0.89	4.45	...	4.45	3.38	...	3.38	4.88	...	4.88
	3601	11.72	...	11.72	9.75	...	9.75	10.53	...	10.53	10.80	...	10.80
	3602	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30	0.24	...	0.24	0.32	...	0.32
	जोड़	12.86	...	12.86	14.50	...	14.50	14.15	...	14.15	16.00	...	16.00
37. कृषि सांख्यिकी सुधार	2401	...	...	...	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.08	...	0.08
	3601	70.20	...	70.20	64.70	...	64.70	92.00	...	92.00	109.62	...	109.62
	3602	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
	जोड़	70.42	...	70.42	65.00	...	65.00	92.30	...	92.30	110.00	...	110.00
38. कृषि अर्थनीति और विकास निविष्टि संबंधी अध्ययन	2401	40.42	...	40.42	44.00	...	44.00	57.00	...	57.00	70.00	...	70.00
39. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं													
39.01 अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	2401	...	13.84	13.84	...	12.92	12.92	...	13.58	13.58	...	14.02	14.02
39.02 अन्य कार्यक्रम	2401	4.31	3.39	7.70	8.50	3.69	12.19	6.66	3.63	10.29	8.00	3.88	11.88
जोड़- कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं		4.31	17.23	21.54	8.50	16.61	25.11	6.66	17.21	23.87	8.00	17.90	25.90
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी		128.01	17.23	145.24	132.00	16.61	148.61	170.11	17.21	187.32	204.00	17.90	221.90
40. कृषि इंजीनियरिंग	2401	2.63	9.50	12.13	7.39	9.54	16.93	3.88	9.63	13.51	9.00	12.33	21.33
	3601	3.92	...	3.92	11.41	...	11.41	7.83	...	7.83	8.00	...	8.00
	4401	1.87	0.06	1.93	10.20	0.60	10.80	7.25	0.39	7.64	9.00	0.60	9.60
	जोड़	8.42	9.56	17.98	29.00	10.14	39.14	18.96	10.02	28.98	26.00	12.93	38.93
41. बाजार हस्तक्षेप प्रचालन योजना/मूल्य समर्थन योजना के लिए नेफेड को अनुदान	2401	...	850.00	850.00	...	425.00	425.00	...	250.00	250.00	...	200.00	200.00
42. सूखा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में डीजल सब्सिडी	3601	...	22.95	22.95	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...
43. फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम													
43.01 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2401	...	16.29	16.29	...	15.90	15.90	...	16.40	16.40	...	16.73	16.73
43.02 सूचना प्रौद्योगिकी													
43.02.01 कृषि सूचना प्रणाली का सशक्तिकरण/संवर्धन	2401	16.89	...	16.89	44.00	...	44.00	22.50	...	22.50	19.00	...	19.00
	3601	3.56	...	3.56	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	20.45	...	20.45	45.00	...	45.00	23.50	...	23.50	20.00	...	20.00
43.02.02 राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि	2401	...	...	...	...	...	...	7.00	...	7.00	80.50	...	80.50
	3601	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00	1.50	...	1.50
http://indiabudget.nic.in													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़	...	...	...	...	...	...	13.00	...	13.00	82.00	...	82.00	
जोड़- सूचना प्रौद्योगिकी	20.45	...	20.45	45.00	...	45.00	36.50	...	36.50	102.00	...	102.00	
43.03 अन्य कार्यक्रम	2401	0.39	0.39	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	
जोड़- फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम	20.84	16.29	37.13	46.00	15.90	61.90	37.50	16.40	53.90	103.00	16.73	119.73	
जोड़-कृषि कार्य	5670.07	964.88	6634.95	6311.82	511.90	6823.72	8437.45	340.00	8777.45	7215.86	293.47	7509.33	
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
44. कीटनाशी अधिनियम का कार्यान्वयन	2070	0.87	8.80	9.67	2.05	7.89	9.94	2.39	9.43	11.82	3.06	9.73	12.79
	4070	1.22	...	1.22	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
जोड़	2.09	8.80	10.89	4.05	7.89	11.94	4.39	9.43	13.82	6.06	9.73	15.79	
अन्य कृषि कार्यक्रम													
कृषि विपणन													
45. ग्रामीण गोदामों का निर्माण	2435	60.95	...	60.95	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	136.00	...	136.00
46. बाजार अवसंरचना विकास ग्रेडिंग और मानकीकरण	2435	63.61	...	63.61	133.30	...	133.30	123.22	...	123.22	163.30	...	163.30
	4435	0.21	...	0.21	1.70	...	1.70	0.35	...	0.35	1.70	...	1.70
जोड़	63.82	...	63.82	135.00	...	135.00	123.57	...	123.57	165.00	...	165.00	
47. लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ	2435	16.80	...	16.80	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	27.00	...	27.00
48. अन्य कार्यक्रम	2435	5.50	31.42	36.92	9.30	29.90	39.20	7.69	31.68	39.37	7.50	32.11	39.61
	3601	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़	5.50	31.42	36.92	9.80	29.90	39.70	7.69	31.68	39.37	8.00	32.11	40.11	
जोड़-कृषि विपणन	147.07	31.42	178.49	257.80	29.90	287.70	244.26	31.68	275.94	336.00	32.11	368.11	
जोड़-अन्य कृषि कार्यक्रम	147.07	31.42	178.49	257.80	29.90	287.70	244.26	31.68	275.94	336.00	32.11	368.11	
मृदा और जल संरक्षण													
49. दामोदर घाटी निगम को अनुदान	2402	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45
50. अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं													
50.01 अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण तथा मृदा सर्वेक्षण के लिए दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	2402	13.21	2.33	15.54	13.78	2.00	15.78	13.03	2.13	15.16	14.00	2.15	16.15
	4402	1.26	...	1.26	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
जोड़	14.47	2.33	16.80	15.78	2.00	17.78	15.03	2.13	17.16	15.00	2.15	17.15	
राज्य आयोजना													
51. झूम कृषि का नियंत्रण	3601	38.20	...	38.20	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
जोड़-मृदा और जल संरक्षण	52.67	2.78	55.45	55.78	2.45	58.23	55.03	2.58	57.61	65.00	2.60	67.60	
सहकारिता													
52. शिक्षा और प्रशिक्षण http://indiabudget.nic.in	2425	27.75	...	27.75	23.05	...	23.05	22.15	...	22.15	25.00	...	25.00

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
53. सहकारिता विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता	2425	50.00	...	50.00	9.50	...	9.50	57.00	...	57.00	60.00	...	60.00
54. राज्य भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर	6425	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
55. एनसीडीसी द्वारा सहकारिताओं को प्रदान ऋणों पर व्याज सहायता	2425	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80.00	...	80.00
56. सहकारिताओं का पुनर्वास और पुनर्निर्माण	2425	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
57. नाफेड को सहायता	4425	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	6425	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
जोड़-सहकारिता		112.75	...	112.75	82.55	...	82.55	109.15	...	109.15	222.00	...	222.00
58. वृहद् कृषि प्रबंधन	2401	3.09	...	3.09	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	1.50	...	1.50
	3601	918.40	...	918.40	766.00	...	766.00	719.00	...	719.00	648.00	...	648.00
	3602	...	...	...	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	921.49	...	921.49	772.00	...	772.00	722.00	...	722.00	650.00	...	650.00
59. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)													
59.01 राज्य आयोजना	3601	3756.53	...	3756.53	6714.50	...	6714.50	6714.50	...	6714.50	7802.37	...	7802.37
59.02 संघ राज्य आयोजना (विधान मंडल सहित)													
59.02.01 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3602	0.24	...	0.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59.03 राज्य आयोजना (क्रियान्वयन एजेंसियां और प्रशासन व्यय)	2401	1.36	...	1.36	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	8.50	...	8.50
जोड़- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)		3758.13	...	3758.13	6722.00	...	6722.00	6722.00	...	6722.00	7810.87	...	7810.87
60. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	821.30	...	821.30	943.89	...	943.89	797.38	...	797.38
	4552	...	...	...	6.70	...	6.70	6.70	...	6.70	9.70	...	9.70
	जोड़	...	...	...	828.00	...	828.00	950.59	...	950.59	807.08	...	807.08
61. वास्तविक वसूलियां	2401	-46.69	-13.50	-60.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		10623.46	1051.34	11674.80	15042.00	605.97	15647.97	17254.00	441.48	17695.48	17122.87	400.00	17522.87
	विकास शीर्ष	बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			बजट 2011-2012		
		सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
36.01 भूमि विकास बैंक	12425	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
जोड़		35.00	...	35.00	50.00	...	50.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. कृषि कार्य	12401	6544.87	...	6544.87	7083.82	...	7083.82	9159.45	...	9159.45	7865.86	...	7865.86
2. अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	147.07	...	147.07	257.80	...	257.80	244.26	...	244.26	336.00	...	336.00
3. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	5.88	...	5.88	8.00	...	8.00	9.13	...	9.13	10.00	...	10.00
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	2.09	...	2.09	4.05	...	4.05	4.39	...	4.39	6.06	...	6.06
5. मृदा एवं जल संरक्षण	12402	14.47	...	14.47	15.78	...	15.78	15.03	...	15.03	15.00	...	15.00
6. सहकारिता	12425	112.75	...	112.75	82.55	...	82.55	109.15	...	109.15	222.00	...	222.00
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	828.00	...	828.00	950.59	...	950.59	807.08	...	807.08
जोड़ - केन्द्रीय योजना		6827.13	...	6827.13	8280.00	...	8280.00	10492.00	...	10492.00	9262.00	...	9262.00
राज्य योजना:													
1. झूम कृषि पर नियंत्रण	43601	38.20	...	38.20	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	43601	3757.89	...	3757.89	6722.00	...	6722.00	6722.00	...	6722.00	7810.87	...	7810.87
जोड़ - राज्य योजना		3796.09	...	3796.09	6762.00	...	6762.00	6762.00	...	6762.00	7860.87	...	7860.87
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	43602	0.24	...	0.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		0.24	...	0.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		10623.46	...	10623.46	15042.00	...	15042.00	17254.00	...	17254.00	17122.87	...	17122.87

1. यह प्रावधान कृषि और सहकारिता विभाग के सचिवालय, विभागीय कैटीन और मंत्री (कृषि), भारतीय दूतावास, रोम के व्यय से संबंधित है।

2. यह प्रावधान गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढीकरण के लिए है।

3. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापरक बीजों को उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को पूरा करने में बीज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने वर्ष 2011-12 से पांच वर्षों की अवधि के लिए "राष्ट्रीय बीज मिशन" तैयार किया है। योजना आयोग ने "सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है" मिशन में वर्तमान स्कीम के कुछ घटक शामिल होंगे तथा साथ ही बीज उत्पादन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा बीज अवसंरचना आदि को बढ़ावा देने के लक्ष्य वाले नए घटक भी शामिल होंगे।

4. इसमें वैश्विक कार्ययोजना के बाह्य सहायताप्राप्त योजना के कार्यान्वयन का प्रावधान शामिल है।

<http://indiabudget.nic.in>

5. इसमें कृषक अधिकार विधान वाले पौधों की किस्मों के संरक्षण और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र का प्रावधान शामिल है।

6. यह प्रावधान चावल और बाजरा निदेशालयों से सम्बद्ध विकास कार्यक्रमों के लिए है।

7. यह प्रावधान केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढीकरण और राष्ट्रीय कार्बनिक खेती संवर्धन परियोजना पर व्यय सहित राष्ट्रीय मृदा, स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए है।

8. यह प्रावधान जैविक कृषि के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के लिए है।

9. यह व्यवस्था भारत में वनस्पति संगरोध सुविधाओं के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए है।

10. यह प्रावधान देश में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए है।

11. यह प्रावधान राष्ट्रीय स्तर पर नाशकजीवमार अवशेषों और राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान की मॉनीटरिंग के लिए है।
12. यह प्रावधान तिलहन विकास निदेशालय के लिए है।
13. यह प्रावधान समेकित तिलहन, आयलपॉम, दलहन और मक्का विकास के लिए है।
14. यह प्रावधान वृक्ष मूल तिलहन के लिए है।
15. यह प्रावधान जूट प्रौद्योगिकी मिशन-लघु मिशन-II के कार्यान्वयन के लिए है।
16. यह प्रावधान गहन कपास विकास कार्यक्रम/कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए है जो संकर बीज के उत्पादन हेतु किसानों और राज्य सरकारों के लिए फ्रंटलाइन प्रदर्शन और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को अनुदान प्रदान करने के लिए है।
17. राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अंगीकृत संकल्प के अनुसार चावल, गेहूं और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" नामक योजना शुरू की गई है ताकि देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन सके।
20. वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वर्षासिंचित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियों/राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ-साथ केन्द्रीय संस्थानों/संगठनों को प्रदान की जाएगी ताकि कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सके। यह स्कीम वर्षासिंचित क्षेत्रों में प्राथमिकतावद्ध किए गए क्षेत्रों का व्यापक विकास करेगी तथा इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर वर्षासिंचित क्षेत्रों में आजीविका समर्थन प्रणाली के सुदृढीकरण में मदद करेगी।
21. यह प्रावधान वाणिज्यिक फसलों के विकास कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी विभिन्न निदेशालयों पर व्यय करने के लिए किया गया।
22. यह प्रावधान पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन के लिए है।
23. यह प्रावधान नारियल विकास बोर्ड (नारियल प्रौद्योगिकी मिशन सहित) के लिए है।
24. यह प्रावधान नारियल बगीचों के पुनःरोपण और पुनर्जीवन के लिए नारियल विकास बोर्ड को अनुदान प्रदान करने के लिए है।
25. फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों आदि की खेती में उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है जिससे कि इनका उत्पादन दुगुना किया जा सके। इसका उद्देश्य स्वर्ण क्रांति को बनाए रखते हुए बागवानी उपज कराना, और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और निर्यातों में वृद्धि करना है।

<http://indiabudget.nic.in>

26. कृषि में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई वाली पद्धतियों के साथ प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए इस योजना के तहत लघु सिंचाई विकास पर जोर दिया गया है। इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अधिक क्षेत्रों को शामिल करने की दृष्टि से लघु-सिंचाई योजना शुरू की गई है।
27. यह प्रावधान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के लिए है।
28. यह प्रावधान बांस प्रौद्योगिकी तथा व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन और दो निदेशालयों (काजू और मसाले) के लिए है।
29. यह प्रावधान राज्य विस्तार सेवाओं हेतु सहायता नामक स्कीम के कार्यान्वयन के लिए है।
30. यह प्रावधान कृषि विस्तार में मांस मीडियाँ का प्रयोग नामक स्कीम के कार्यान्वयन के लिए है।
31. यह प्रावधान केन्द्रीय संस्थाओं/ डीओई को विस्तार सहायता नामक योजना के कार्यान्वयन के लिए है।
32. यह प्रावधान कृषि व्यवसाय और कृषि क्लीनिक तथा गैर-योजना स्कीम नामक योजना के कार्यान्वयन के लिए है।
33. यह व्यवस्था "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" (एनएआईएस) के लिए है जिसे कृषकों तथा फसलों के जोखिम को शामिल करके इसके कवरेज को बढ़ाने के लिए खरीफ मौसम 1999 से कार्यान्वित किया गया है। यह योजना "क्षेत्र दृष्टिकोण" के आधार पर संचालित की जाती है और प्रत्येक भागीदार राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र से यह अपेक्षा है कि वे तीन वर्ष की समयावधि में बीमा के इकाई क्षेत्र के रूप में ग्राम पंचायत के स्तर तक पहुंचें।
34. कृषि बीमा निगम खरीफ 2004 से पाइलेट मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित कर रहा है। यह योजना दो या तीन राज्यों में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वयन के लिए बनाई गई है।
35. यह प्रावधान "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के लिए है जिसे प्रायोगिक आधार पर कृषि बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
36. यह प्रावधान कृषि संगणना को निष्पादित करने के लिए होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रचालनात्मक जोतों की संरचना तथा नीति के निमित्त आवश्यक अन्य मामलों पर आंकड़े प्राप्त करना है।
37. यह प्रावधान कृषि सांख्यिकी का सुधार करने के लिए है।
38. यह प्रावधान कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए निविष्टियों पर अध्ययन के लिए है।
39. यह व्यवस्था अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, अंतरिक्ष, कृषि मौसम और भू-आधारित अवलोकन (एफएएसएल) आदि का उपयोग करते हुए कृषि उपज की भविष्यवाणी के लिए है।

40. यह व्यवस्था फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थानों के लिए है। ये संस्थान प्रगतिशील कृषकों, तकनीशियनों, राज्य सरकारों के नामितों और कृषि उद्योग निगमों, कृषि संस्थाओं और इंजीनियरिंग उद्यमों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था में कृषकों के खेतों पर बागवानी उपस्करों, फसल पशु प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के साथ नए विकसित कृषि उपस्करों का प्रदर्शन भी शामिल है।
41. मूल्य समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप संबंधी उपाय किसानों को समुचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं। नैफेड ऐसे कार्य करने के लिए निर्दिष्ट केन्द्रीय एजेंसी है।
43. यह प्रावधान खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम को अंशदान, कृषि सूचना प्रणालियों का सुदृढीकरण/संवर्धन, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना - कृषि आदि के लिए है।
44. यह व्यवस्था कीटनाशी अधिनियम के प्रशासन तथा क्रियान्वयन संबंधी व्यय के लिए है।
45. यह प्रावधान ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए है।
46. यह प्रावधान बाजार अवसंरचना का विकास, ग्रेडिंग और मानकीकरण के लिए है।
47. यह प्रावधान लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ के लिए है।
48. यह व्यवस्था एगमार्क ग्रेडिंग और निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूती देने, बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण, विपणन सूचना नेटवर्क, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थानों को सहायता प्रदान करने आदि के लिए है।
49. यह व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अनुदान प्रदान करने के लिए की गई है।
50. यह व्यवस्था भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए की गई है।
51. इस व्यवस्था में झूम खेती से संबंधित राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता देने के लिए है।
52. यह प्रावधान सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए शिक्षा और राज्य सहकारी विभागों/सहकारी संस्थानों के कर्मिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए है जिससे कि सहकारी समितियों के लाभ के बारे में सदस्यों को अवगत कराने के उद्देश्य प्राप्त हो।
53. यह व्यवस्था सहकारी समितियों के विकास हेतु (एनसीडीसी) को सहायता देने की स्कीम के लिए की गई है।
54. यह योजना लघु सिंचाई, भूमि विकास, फार्म यंत्रीकरण आदि के क्षेत्र में विकासात्मक प्रयोजनों के लिए कृषकों को दीर्घावधिक कृषि ऋण देने के लिए है।

55. यह नई स्कीम 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित है। 1.4.2010 से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र उधारदान वापसी के कारण नई स्कीम बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विकास निगम को व्याज की बाजार दर पर वाणिज्यिक/अनुसूचित बैंकों से निधियां उधार लेनी होंगी जिससे सहकारी आन्दोलन मन्द पड़ जाएगा और व्याज संबंधी छूट आवश्यक है।
56. इस स्कीम के अंतर्गत आरंभिक बीमारी में क्षमतावान व्यवहार्य बीमार सहकारी समिति अथवा समितियों के लिए सहायता सरणीबद्ध करने के लिए सहकारी पुनःस्थापना और पुनःसंरचना कोष गठित करने का प्रस्ताव है।
57. भारत सरकार के मूल्य समर्थन स्कीम के अन्तर्गत तिलहन, दलहन और कपास की खरीद के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी है और मूल्य वृद्धि की स्थिति में वहन करने योग्य मूल्य पर उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेफेड की वित्तीय संरचना के लिए बकाया ऋणों को पाटने के लिए अपेक्षित संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए व्याज मुक्त अग्रिम देना तथा साथ ही नेफेड के सरकारी अभिदत्त साम्य पूंजी के रूप में सहायता देने का प्रस्ताव है। अतः बजट अनुमान 2011-12 में सांकेतिक का प्रावधान किया गया है।
58. समझौता ज्ञापन आधार पर केन्द्र-प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए 10 चालू स्कीमों के समेकन के जरिए बृहद कृषि प्रबंधन (एमएमए) नामक एक नई योजना तैयार की गई है।
59. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में एक संकल्प अंगीकार किया गया जिसमें 11वीं योजना के दौरान कृषि सेक्टर में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई। तदनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नामक एक नई राज्य योजना लागू की गई है। इस योजना से राज्यों को महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने के लिए उनके बेसलाइन व्यय के अलावा उनकी राज्य योजनाओं में कृषि हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देगी। जिला योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उनके आधार पर, प्रत्येक क्षेत्र की कृषि संबंधी दशाओं को ध्यान में रखते हुए, कृषि और सम्बद्ध सेक्टरों के लिए राज्य योजनाएं बनाई जाएंगी। इस योजना के लिए बजट 2011-12 में 7810.87 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रावधान में वर्ष 2010-11 से आरकेबीवाई के भाग के रूप में शुरू किए जाने वाले दो नए उप-संघटकों भी शामिल हैं यथा :- (i) चुनिंदा दलहन/तिलहन का उत्पादन करने वाले गांवों में दलहन और तिलहन विकास हेतु पूरक कार्यक्रम के रूप में विशेष पहल जो विशेष रूप से वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए लक्षित होगा और इसका कार्यान्वयन उसी मानदण्ड पर किया जाएगा जैसे तिलहनों और दलहनों के चालू कार्यक्रमों का है तथा (ii) पूर्वी भारत में कृषि में उपज अंतर को दूर करने की योजना। इस प्रावधान में जम्मू तथा कश्मीर में केसर मिशन की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। 2011-12 में आरकेबीआई के अन्तर्गत पांच नए उप संघटकों का कार्यान्वयन किया जाएगा अर्थात् (i) आयलपॉम पौध रोपण के अन्तर्गत 60000 हेक्टेयर को शामिल कर आयल पॉम को प्रोत्साहन देना (300 करोड़ रूपए), (ii) वनस्पति समूहों पर पहल (300 करोड़ रूपए), (iii) पोषण खाद्य-25000 गांवों को शामिल करते हुए 1000 संघटित खण्डों में उच्च उत्पादन (300 करोड़ रूपए), (iv) त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (300 करोड़ रूपए), और (v) चुनिंदा खण्डों में पशुधन विकास, डेयरी पालन, सुअर, बकरी पालन तथा मात्सियकी को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय प्रोटीन पूरक मशन (300 करोड़ रूपए)। ये नए उप-संघटक राज्यों द्वारा भारत सरकार से परामर्श कर दायर किए जाएंगे और जिनमें कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण तथा योजना आयोग शामिल होंगे और जो आरकेबीआई की अनुमोदित प्रक्रिया का भाग बनेंगे।

60. यह व्यवस्था पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ हेतु स्कीमों के लिए है।